टेक पार्क युवाओं के लिए नए अवसर : शाह

- गुजरात की अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव
- टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे मजबूत होगा इकोसिस्टम

अहमदाबाद, 17 मई. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में अब फाउंडर नेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है.

उन्होंने अहमदाबाद के ट्रागड क्षेत्र में गुजरात के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आईटी पार्क 'मिलियन माइंड्स टेक सिटी' के पहले चरण के उद्घाटन के दौरान यह बात कही. अमित शाह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत कई क्षेत्रों में पीछे रह गया था, लेकिन अब देश उन तकनीकों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो अगले 25 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगी. उन्होंने कहा, एआई और डीप टेक भविष्य की अर्थव्यवस्था हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सभी उभरते क्षेत्रों में फाउंडर नेशन बन चुका है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम, साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में आने वाले समय में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा, देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही मंच, बेहतर माहौल और पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराने की है.

मिलियन माइंड्स टेक सिटी : युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

शाह ने कहा कि मिलियन माइंड्स टेक सिटी जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्क नवाचार, रिसर्च और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसरों का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगे. परियोजना के पहले चरण का विकास लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत से 13.5 लाख वर्गफुट क्षेत्र में किया जा रहा है. इससे करीब 9 हजार उच्च कौशल वाले पेशेवरों को कार्यस्थल उपलब्ध होगा. पूरी सात चरणों वाली परियोजना में लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है. अगले पांच वर्षों में इससे 63 हजार से अधिक हाई-वैल्यू रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है.

पांच राज्यों में मकान सूचीकरण शुरू

राजस्थान, 17 मई. देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हो गया है. इसके साथ ही गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में स्व-गणना सुविधा भी शुरू कर दी गई है. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकान सूचीकरण कार्य जारी है. गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में आज से स्व-गणना सुविधा शुरू हो गई है, जो 31 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी. इन क्षेत्रों में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य 1 जून से 30 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा.

देश के 8 राज्यों में गर्मी का कहर

- गुजरात की जंगल सफारी में ऐसी स्प्रिंकलर लगाए गए

नई दिल्ली, 17 मई. पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र-विदर्भ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं. इन इलाकों में पारा लगातार 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है. दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं. शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती और वर्धा देश के सबसे गर्म शहर रहे.

दोनों शहरों का तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. यूपी के बांदा, मध्य प्रदेश का नौगांव और खंडवा में भी पारा 44 डिग्री से ज्यादा रहा. गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बनी जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों के लिए ऐसी, कूलर और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं.

जानवरों और लोगों के लिए ठंडक के इंतजाम

वडोदरा के सायाजीबाग जूलॉजिकल पार्क ने जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए ठंडक के कई इंतजाम किए हैं. इनमें पानी का छिड़काव, बर्फ के टुकड़े, फॉगर शामिल हैं. राजस्थान के बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 से 43 के बीच दर्ज हुआ. सीकर, हनुमानगढ़, जालोर, सिरोही में तापमान 40एष्ट से नीचे रहा। मौसम विभाग ने राज्य में अगले हफ्ते से गर्मी तेज हो सकती है. वहीं, रविवार को 8 जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट है. मध्य प्रदेश प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है. इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी है. शनिवार को नौगांव और खंडवा में पारा 44 के पार रहा. वहीं, 15 शहरों में तापमान 43 या इससे ज्यादा दर्ज किया गया. रतलाम में इतनी तेज धूप थी कि मोबाइल ही बंद हो गया. उत्तरप्रदेश मौसम विभाग ने आज 22 शहरों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. बांदा लगातार पांचवें दिन सबसे गर्म शहर रहा। तापमान 44.8 रिकॉर्ड किया गया.

मंदानी के नकबा पोस्ट पर भड़का यहूदी समुदाय

नयू यॉर्क, 17 मई. न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी अपने एक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए 'नकबा' की याद में एक विवादित वीडियो पोस्ट किया.

मेयर के इस पोस्ट के बाद यहूदी संगठनों और स्थानीय नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की. नकबा एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ 'तबाही' होता है. इसका इस्तेमाल 1948 में इस्राइल की स्थापना और उससे जुड़े फलस्तीनियों के विस्थापन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. ममदानी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें न्यूयॉर्क की रहने वाली इनिया बुशनाक का इंटरव्यू शामिल है, जिन्हें ममदानी ने नकबा सर्वाइवर बताया। वीडियो में बुशनाक 1948 के युद्ध के दौरान अपने परिवार के यरुशलम छोड़ने के बारे में बताती हैं. उनका दावा है कि यहूदियों के यरुशलम आने के कारण उनके परिवार को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा.

वीडियो के साथ ममदानी की पोस्ट में लिखा था, आज नकबा डे है, जो 1947 से 1949 के बीच इस्राइल के गठन और उसके बाद 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के विस्थापन की याद में मनाया जाने वाला वार्षिक दिन है.

आज का इतिहास

- 1881-एक वकील, राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य राम लिंगम चेट्टियार का जन्म
- 1912-पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म पुंडालिक रिलीज
- 1934- भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त मुकुन्द दास का निधन
- 1948-भारतीय राजनेता थावर चंद गहलोत का जन्म
- 1951-भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ जगदीप धनखड़ का जन्म
- 1994-गाजा पट्टी क्षेत्र से अन्तिम इजरायली सैनिक टुकड़ी हटाये जाने के साथ ही क्षेत्र पर फिलीस्तीनी स्वायत्तशासी शासन पूरी तरह से लागू
- 2004-इजरायल के राफा विस्थापित कैम्प में इजरायली सैनिकों ने 19 फिलीस्तीनियों को मौत के घाट उतारा
- 2006-नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया
- 2007-कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर वायेव का कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दौरे के दौरान डच नेतृत्व के साथ समुद्र तट पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए. इस मुलाकात में भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुको जजों की संख्या बढ़ाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 17 मई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जायेगी। इस अध्यादेश से उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत पांच मई को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जायेगा. इससे उच्चतम न्यायालय में में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़कर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जायेगी. विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसका व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष बढ़ते लंबित मामलों और मुकदमों से निपटने के लिए एक बेहतर कदम बताया है.

भारत-नेपाल सीमा पर नागरिकों को बड़ी राहत

काठमांडू, 17 मई. नेपाल के सुको ने भारत से लाए जाने वाले सामान पर नागरिकों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीशों हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने 100 नेपाली रुपए (लगभग 62 रुपए) से अधिक मूल्य वाले सामान पर लगने वाले सीमा शुल्क नियम पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक यह नियम लागू न करें.

धामी ने किया छात्रों को सम्मानित

देहरादून 17 मई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में एक अखबार की ओर से आयोजित समारोह में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

इस अवसर पर धामी ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तथा देश और प्रदेश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की यह पहल अत्यंत सराहनीय है, जो युवा प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की. धामी ने कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वास्तविक कुंजी है. उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के वास्तविक शिल्पकार हैं और विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्य भी प्रदान करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

होर्मुज में नया ट्रैफिक सिस्टम जल्द लागू करेगा ईरान

तेहरान, ईरान, 17 मई. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है.राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने शनिवार को बताया कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ईरान की संप्रभुता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है.उन्होंने कहा कि केवल वही कारोबारी जहाज और देश इस प्रणाली से लाभ उठा पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे.विशेष सेवाओं के लिए टैक्स भी लागू होगा, जो ईरानी सरकार के नियमन का हिस्सा है.

महिला स्टार्टअप्स को 10 करोड़ का बिना गारंटी लोन

- मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेगा मंच
- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर जोर

नई दिल्ली, 17 मई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए तक के कोलैटरल-फ्री लोन की व्यवस्था की है, जिसकी गारंटी स्वयं दिल्ली सरकार लेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार शाम उत्तर पश्चिम दिल्ली स्थित यूनिटी वन मॉल, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित दो दिवसीय 'मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला-2026' पर संबोधित कर रही थीं.

एक नजर में

शाहजहांपुर में डंपर की टक्कर से टेंपो सवार दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत

शाहजहांपुर 17 मई. उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के थाना कांट क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे एक टेंपो में जोरदार टक्कर मार देने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने आज बताया कि थाना कांट कस्बे के कमलनयनपुर तिराहा के पास सवारी से भरा टेंपो जलालाबाद की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो महिलाएं राम क्षत्रिय (28), गुड़िया (40) और एक पुरुष कल्लू (45) की मौके पर ही मौत है गई. जबकि चार वर्षीय कृष्णा ,अयान मुस्कान और अनूप गंभीर रूप से घायल हुए है. स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से घायल सवारियों को टेंपो से बाहर निकल गया. उन्होंने बताया सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया जिससे स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घायलों के बेहतर इलाज के लिए चिकित्साओं को निर्देशित किया गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डंपर को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

नीट पेपर लीक में सिस्टम के अंदर से हुआ खेल ब्यूटी पार्लर संचालिका भी साजिश में शामिल

नई दिल्ली, 17 मई। देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 में पेपर लीक का बड़ा मांमले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस बार पेपर लीक किसी बाहरी साइबर हमले या तकनीकी सेंधमारी से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुआ।सीबीआई की जांच के केंद्र में पुणे की सीनियर बॉटनी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और लातूर के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी हैं। दोनों लंबे समय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे। मनीषा मंधारे को एनटीए ने एक एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया था, जिसके कारण उन्हें प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच प्राप्त थी। आरोप है कि दोनों ने इसी अधिकार और भरोसे का फायदा उठाकर पेपर लीक किया।जांच में सामने आया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही इस नेटवर्क ने काम शुरू कर दिया था।

शिक्षा मंत्री को करें बर्खास्त : राहुल

नयी दिल्ली, 17 मई. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए. गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और मोदी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा 2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई. मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रविन्द्र भवनानी पिता श्री गोवर्धनदास भवनानी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति भवन क्रमांक 36 जूनियर एच.ई.जी. प्रथम मंजिल,विजय नगर इंदौर पर स्थित है। यह कि सदर संपत्ति बावद मूल पंजीकृत विक्रय दस्तावेज क्रमांक 1अ/3442 दिनांक 31/01/2001 एवं 1अ/3443 दिनांक 31/01/2001 कही गुम हो गई है। सदर संपत्ति को मेरी पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष बंधक है। अतः सदर संपत्ति एवं उपरोक्त गुम हुए दतावेज बावद किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उजर हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस की अवधि में मय लेखी दस्तावेजो प्रमाण हमें सूचित करें अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।

आर. सी. बडजात्या, हाईकोर्ट ऐडवोकेट
फ्लेट न 1 स्टेट बैंक अभिलाषा सोसायटी, 23/2 मनोरमागंज, इंदौर(म.प्र.)
मो. न. 9425052001

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13(12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13(4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चो सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को विलयल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री अजय जाटव श्रीमती निकिता मलाईया अजय जाटव (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10888337)	प्लॉट नंबर 131 के उत्तरी भाग का वह पूरा टुकड़ा, व्यंकटेश सिटी, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453115 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 500	रुपये 1631045/- (रु. सोलह लाख इकतीस हजार पैंतालीस मात्र)	09-03-2026	13-05-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर **प्रा. अधिकारी**
दिनांक : 18-5-2026 **कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 104/ए, सेठ मिश्रीलाल नगर, मेन रोड देवास-45501 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री राजेश अग्रवाल आर.के.के. ट्रेडर्स श्रीमती कीर्ति अग्रवाल (प्रॉस्पेक्ट नं. 782474)	6-12-2022 रु. 1339148/- (रु. तेरह लाख उन्चालीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग प्लॉट संख्या 354, सिल्वर पार्क कॉलोनी ग्राम सुखलिया क्षिप्रा तहसील जिला देवास, मध्य प्रदेश, भारत-455001 संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र निर्मित क्षेत्र: 680.00 वर्ग फुट 1360.00 वर्ग फुट	12-3-2026 कुल बकाया राशि 12-5-2026 को रु.	रु. 2865000/- (रु. अट्ठाइस लाख पैंसठ हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)		1515676.19/- (रु. पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार छह सौ छिहत्तर और पैसा उन्नीस मात्र)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 286500/- (रु. दो लाख छियासी हजार पांच सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
1/6/2026 11.00-14.00 बजे	3/6/2026 के 5.00 बजे तक	5/6/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- देवास, दिनांक- 18-5-2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
(डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक कल कक्ष क्र.जी 11)

क्रमांक/189/अकरी/2026 इंदौर दिनांक 08/05/2026
प्रकरण क्र./0075/ब-121/2026-27

पेपर विज्ञप्ति

प्रति
1. **श्री जय कश्यप पिता श्री ओमप्रकाश कश्यप**
पता- 61, चौहान नगर स्कीम नं. 94 जिला इंदौर (म.प्र.)-452001 अन्य पता- मकान नं. 276, इंदिरा एकता नगर, वार्ड क्र. 51, ग्राम मुसाखेड़ी जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 452001
2. **कश्यप कार गैरेज द्वारा श्री जय कश्यप**
पता- इंदिरा एकता नगर मुसाखेड़ी जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 452016
3. **श्रीमति सोनम कश्यप पति श्री ओमप्रकाश कश्यप**
पता- 61, चौहान नगर स्कीम नं. 94 जिला इंदौर (म.प्र.)-452001 **अन्य पता**- मकान नं. 276, इंदिरा एकता नगर, वार्ड क्र. 51, ग्राम मुसाखेड़ी जिला इंदौर, मध्य प्रदेश

द्वाराः- पेपर प्रकाशन।
--00--

प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपीटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः- 11th फ्लोर टावर अ पेनीनसुला बिजनेस पार्क गनपतराव कदम मार्ग लोवर परेल मुंबई 400013 ब्रांच ऑफिस :- 302, तीसरी मंजिल खण्डेलवाल बिजनेस पार्क ब्लाक नंबर 4 एंड 9/1 एम.जी.रोड मध्यप्रदेश 452001 द्वारा आवेदन कर निवेदन किया हैं कि **बंधक संपत्ति शहर इंदौर के मुख्य मार्ग से अंदर की ओर स्थित वार्ड क्र. 51, इंदिरा एकता नगर, मकान नं. 276, ग्राम मुसाखेड़ी, जिला इंदौर मध्य प्रदेश** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर **कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 20/05/2026 को दोपहर 03:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)
इंदौर दिनांक 08/05/26

दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि.
(मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँक)
जीवन करा समृद्ध!

पंजीकृत कार्यालय : कॉसमॉस टॉवर, प्लॉट क्र. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007 फोन : 020 - 67085308

सार्वजनिक सूचना

ऋण लेने वाली संस्था मैसर्स लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने कॉसमॉस सहकारी बैंक की इंदौर ब्रांच से कई तरह की क्रेडिट सुविधाएँ ली हुई हैं। संस्था बैंक को भुगतान/ऋण चुकाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं, और साथ ही 'जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की घोषणा' से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के तहत उन्होंने 'जानबूझकर ऋण न चुकाने' का काम भी किया है।

इसलिए बैंक ने **29.12.2025 को कर्जदार संस्था और ऋण लेने वाली संस्था** से संबंधित निम्नलिखित पक्षों को 'जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला' (Wilful Defaulter) घोषित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों के साथ साझा कर दी गई है।

ऋण लेने वाली संस्था के प्रमोटर/निदेशक/गारंटर:

1) **श्री. अनुप राजेंद्रकुमार सिंघल**
ऋण लेने वाली संस्था के पदनाम:- निदेशक/गारंटर
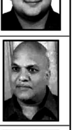

2) **श्री. आयुष राजेंद्र अग्रवाल**
ऋण लेने वाली संस्था के पदनाम:- निदेशक/गारंटर
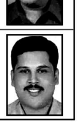

3) **श्री. राजेंद्रकुमार बाबूलाल सिंघल**
ऋण लेने वाली संस्था के पदनाम:- गारंटर
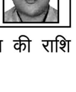

4) **श्री. अंकुश राजेंद्र सिंघल**
ऋण लेने वाली संस्था के पदनाम:- गारंटर

ऋण अनुबंध के अनुसार 30.04.2026 तक, ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि रू. 27,84,27,822.61 रुपए है।

दिनांक : 18.05.2026, स्थान: इंदौर